राजस्थान सरकार

राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक पः 6(7)राज-4/77/2

जयपुर, दिनांकः- 10-1-13

समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।

समस्त जिला कलेक्टर, राज0;

-:आदेश:-

इस विभाग के आदेश क0 6(7)राज-4/77/15 दिनांक 16.10.2001 के क्रम में सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.7.94 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक प. 6(7)राज-4/77/2 दिनांक 11.1.2008 जारी कर दिनांक 15.7.94 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 1.1.2000 किया गया था। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियमन की तिथि दिनांक 1.1.2000 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 1.1.2005 कर दिया जायें।

1. राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 में अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान है। उक्तानुसार अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बशर्ते कि वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें अतिक्रमित भूमि भी सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं हों। भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के मामलों को निम्न शर्तो पर नियमित किया जायें:-

(i) नियमन के समय प्रीमियम या शास्ति नहीं ली जाय किन्तु जिस अवधि में भूमि पर अवैध कब्जा रहा हो उस अवधि का भू राजस्व वसूल किया जायेगा।

(ii) व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है, 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक न हों।

(iii) अतिक्रमित भूमि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवटन) नियम, 1970 में उल्लेखित आवंटन के लिये प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में नहीं आती हों।

2. निम्न भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा:-

(i) राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां।

(ii) चारागाह, औरण , जोहड़ , पायतन, नदी , तालाब के पेटे, श्मशान, कब्रिस्तान व मन्दिरों की भूमियां।

(iii) डी0बी0सिविल रिट पिटिशन नं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 2.8.2004 में वर्णित भूमियां,

(iv) वन विभाग के नाम दर्ज भूमियां,

(v) किसी उद्देश्य हेतु अवाप्तिशुदा भूमियां, राजकीय उपकम या राजकीय विभाग की भूमियां,

(vi) वायुयानों के उतराई स्थल के रूप में सीमांकित भूमियां,

(vii) राजस्थान वन अधिनियम 1953 (अधिनियम सं0 53 सन् 1953) की धारा 8 के अधीन संघटित ग्राम्य वनों के लिये आरक्षित भूमियां,

(viii) किसी ग्राम की आबादी के समीप अथवा साथ लगी हुई, छोटे बाडों या खलिहानों के लिए आरक्षित भूमियां,

(ix) भूमियां जो-

(a) पांच लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर के तीन मील की परिधि में।

(b) दो लाख या इससे अधिक किन्तु पांच लाख से कम जनसंख्या वाले किसी पालिका/कस्बे के दो मील की परिधि में,

(c) एक लाख या इससे अधिक किन्तु दो लाख से कम जनसंख्या वाले किसी कस्बे के एक मील की परिधि में।

(d) किसी भी अन्य नगरपालिका की सीमा में।

(e) किसी रेल्वे की हदबन्दी से एक सौ गज की दूरी के भीतर, या

(f) किसी राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनो और 50 गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियां।

(x) राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 2007 के अधीन लवण क्षेत्रों के रूप में घोषित भूमियां,

(xi) भूमि आंवटन के किन्ही विशेष नियमों के अधीन, आंवटन हेतु आरक्षित भूमियां और

(xii) स्थानीय निकायों की शहरी व पेरीफेरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमि।

(डॉ0 (श्रीमती) मालविका पवार)

प्रमुख शासन सचिव ,राजस्व